

रिजिस्ट्रार ऑफ़ री हल्का / आई 0 एल 0 आर 0

वेब्स

आवेदन पत्र के प्रमाण में उक्त की गई। इसके अनुसार

श्रीमान जी, राजस्थान गाम हीरवाजा में रवाना अमर सिंह पुत्र हरिराम लाल रावत
गंगुडी तह नुमिया गाम शेरी गौशाला जमावा में सहाय की दर्ज हो गया है जलपुत्र का
नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जाने की अनिश्चय की जाती है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

11/10/20
22/10/20

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक : 29/10/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को पेश कर दिया है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जाने की अनिश्चय की जाती है। / नहीं की जाती है।

775
21

29/10/20

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिना सुभुनु (राज.)

- आदेश -

दिनांक :-

29/10/20

प्राथी के खाता दुरुस्ती मार्फत पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षों एवं तहसीलदार (पू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (पू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के अन्तर्गत किया जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमावती संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अनुष्ठ)	आवेदन (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है)
1	हीरवाजा	2075-78	182	अमर सिंह पुत्र हरिराम लाल रावत	अमर सिंह पुत्र हरिराम लाल रावत का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

नोट :- शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 495-496

प्रवृत्ति :-

- 1 तहसीलदार (पू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को भेजते पालना :-
- 2 प्राथी / प्रार्थी :-

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :-

29/10/20

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

